उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 15.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक द्वारा सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था व उत्कृष्ट पुलिसिंग की दिशा में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

दिनांक 14.01.2026 की देर सायं रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष, महोबा में श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाना तथा पुलिसिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना रहा।

सैनिक सम्मेलन : बैठक की शुरुआत सैनिक सम्मेलन से हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने जनपदीय पुलिस कर्मियों की समस्याओं का अनुश्रवण करते हुए उनके समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थानों पर नियमित सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने हेतु निर्देशित किया गया।

'यक्ष (YAKSH)' एप्लीकेशन से अपराध नियंत्रण को मिलेगी मजबूती

गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, संवेदनशील पुलिसिंग एवं नागरिक सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए यक्ष (YAKSH) AI-आधारित एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपराधियों पर कड़ी निगरानी, उनकी गतिविधियों की प्रभावी जांच तथा विभिन्न घटनाओं में संलिप्तता का विश्लेषण आसान होगा। एप्लीकेशन की उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करने पर एक आरक्षी को नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अलर्ट मोड-

आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों की अद्यावधिक सूची, मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ करना, संभावित प्रत्याशियों से जुड़े विवादों पर सतत निगरानी तथा किसी भी सूचना पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सर्राफा बाजार, मुख्य बाजार एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए।

सड़क सुरक्षा : दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए विशेष टीमों का गठन

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस टीमों के गठन के निर्देश दिए गए। ये टीमें दुर्घटना की सूचना पर मौके पर जाकर कारणों की समीक्षा करेंगी, सुधारात्मक सुझाव देंगी तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर साइनेज बोर्ड, यातायात जागरूकता एवं यातायात व्यवस्था सुधार सुनिश्चित करेंगी।

CCTNS में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान

प्रदेश स्तर पर CCTNS में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त करने पर श्रीमती वन्दना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि महोबा पुलिस की तकनीकी दक्षता, अनुशासन एवं उच्च प्रोफेशनलिज़्म को दर्शाती है।

अपराध समीक्षा : लंबित विवेचनाओं पर सख्ती-

जनपद में घटित अपराधों की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान लंबित विवेचनाओं पर अभियान चलाकर शीघ्र, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। वांछित/मफरूर अभियुक्तों की गिरफ्तारी, महिला अपराधों पर नियंत्रण, गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा शातिर/आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर सतत निगरानी पर विशेष बल दिया गया।

जुआ अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं गुंडा एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई तथा किसी भी घटना पर पंजीकृत मुकदमे की प्राथमिक जांच 24 घंटे के भीतर पूर्ण कर पीड़ित से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई : शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

IGRS पोर्टल, पीजी पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड, क्षेत्राधिकारी अपराध/साइबर श्री गौरव उपाध्याय, आर.आई. श्री शिवकुमार सहित जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 15.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 15.01.2026
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 6 किलो 985 ग्राम अवैध सूखे गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.01.2026 अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित व वारन्टियों की तलाश के दौरान ग्राम काशीपुरा के पास से अवैध गाँजा के साथ 01 नफर अभियुक्त रूपकिशोर विश्वकर्मा पुत्र स्व0 देवीदीन विश्वकर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 पीले रंग की बोरियों में कुल 6 किलो 985 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

रूपकिशोर विश्वकर्मा पुत्र स्व0 देवीदीन विश्वकर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार
2. उ0नि0 रामबाबू यादव
3. उ0नि0 श्री अजय प्रताप सिंह
4. कां0 साहब सिंह 5. कां0 नितिन कुमार

झपटमारी की मनगढ़ंत फर्जी कहानी गढ़ने की साजिश नाकाम, कोतवाली नगर महोबा पुलिस ने घटना का किया सफल अनावरण...।

दिनांक 13.01.2026 को वादी सुभाषचंद्र पुत्र रमेश, निवासी कसौराटोरी, थाना कोतवाली नगर महोबा (हाल पता—टूरिस्ट बंगला के सामने, गांधी नगर, महोबा) द्वारा थाना कोतवाली महोबा पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा अवगत कराया गया था कि शराब की दुकान कुलपहाड़ से बिक्री की राशि लेकर महोबा आते समय सेल्समैन देवचंद्र उर्फ भोला यादव से रास्ते में 02 मोटरसाइकिलों पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ₹1,50,000/- की झपटमारी कर ली गई है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली महोबा में मु0अ0सं0 16/2026 धारा 304(2)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल गहन विवेचना, पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन किया गया।

विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों तथा संबंधित व्यक्तियों से गहन पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि झपटमारी की कथित घटना पूर्णतः मनगढ़ंत एवं झूठी थी।

पूछताछ में यह सामने आया कि सेल्समैन देवचंद्र यादव उर्फ भोला यादव, निवासी कस्बा व थाना खन्ना, जनपद महोबा द्वारा पूर्व में दुकान की लगभग 1,00,000/- रुपये की धनराशि हड़प ली गई थी, जिसमें से लगभग 70,000/- रुपये दीपावली मेले के दौरान जुए में हार गया, तथा शेष धनराशि अपनी पत्नी एवं बच्चों की बीमारी में खर्च कर दी थी।

दिनांक 13.01.2026 को वह दो दुकानों की बिक्री से प्राप्त लगभग 60,000/- रुपये लेकर महोबा आ रहा था। पूर्व में खर्च की गई राशि एवं वर्तमान बिक्री की रकम के गबन को छिपाने की नीयत से उसने अपने साथी सुरेन्द्र पुत्र लिखीराम, निवासी कस्बा व थाना खन्ना, जनपद महोबा के साथ मिलकर झूठी झपटमारी की साजिश रची।

योजना के तहत पचपहरा गौशाला के पास सड़क किनारे उसने स्वयं अपने पैर बाँध लिए तथा हाथ अपने साथी से बंधवाकर राहगीरों को बुलाया और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसा छीनने की मनगढ़ंत कहानी तैयार कर दुकान मालिक को झूठी सूचना दे दी।

गहन जांच एवं साक्ष्य संकलन के उपरान्त पुलिस टीम द्वारा प्रकरण का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्त देवचंद्र यादव उर्फ भोला यादव एवं उसके साथी सुरेन्द्र के कब्जे से 60,000/- रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनपद पुलिस की अपील-

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना, भ्रामक घटना अथवा फर्जी अभियोग दर्ज कराने से बचें। झूठी सूचना देना कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय
2. निरीक्षण अपराध श्री संतोष कुमार
3. उ0नि0 दिनेश तिवारी 4. उ0नि0 शिवम पाण्डेय 5. उ0नि0 सत्यम
6. हे0कं0 रमाकान्त शुक्ला 7. कां0 अभिषेक

- जनपदीय स्वॅाट/सर्विलांश टीम जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. देवचंद्र उर्फ भोला यादव 2. सुरेंद्र पुत्र लिखीराम समस्त निवासी कस्बा व थाना खन्ना महोबा।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 01 दंपति के परिवार में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।

आज दिनांक 15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पारस्परिक पारिवारिक विवाद से ग्रस्त 12 पति-पत्नी जोड़ों की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए दोनों पक्षों को संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप एक पति-पत्नी जोड़ा आपसी सहमति से पुनः साथ रहने हेतु सहमत हुआ, जबकि शेष प्रकरणों को अगली तिथि पर पुनः काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परामर्श कार्यक्रम के दौरान प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला, म0कां0 अनुप्रिया, म0कां0 भारती यादव सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर नीतू पालीवाल, रामजी गुप्ता, शिव कुमार गोस्वामी, मो0 हनीफ एवं सुरेशचन्द्र जायसवाल आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।